

a Departmental Promotion Committee exists, that is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation of direct recruitment :—	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
Joint Secretary (Admn.), Ministry of Home Affairs	—Chairman
Director/Deputy Secretary (Admn.)	—Member

Note : The proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of Union Public Service Commission shall be held.

[F. No. A/12018/01/2010-Ad. V]
ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

भारत के महाराजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 231.—राष्ट्रपति, सर्विधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महाराजिस्ट्रार के कार्यालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) समूह 'क' भर्ती नियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महाराजिस्ट्रार के कार्यालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम भारत के महाराजिस्ट्रार का कार्यालय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) समूह 'क' भर्ती नियम, 2010 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे बैण्ड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद पर संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह रात्र है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

